वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110 001

सा०/No. : 5-1(616)/2018-PD

दिनांक/Dated: 15.01.2019

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी की गई निम्नलिखित संकल्प को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Resolution issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	संकल्प सं/ . Resolution No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.11.2018 का संकल्प सं० सा.का.नि. 370 Govt. of India, MoP,PG&P, DoP&T Resolution No. G.S.R. 370 dated 19.11.2018	मूल (संशोधन) नियम, 2018 के सन्दर्भ में। The Fundamental (Amendment) Rules, 2018 – reg.

भवदीय/Yours faithfully

15/01/19

(सिद्धार्थ दे / Siddhartha Dey)
अनु॰ अधि॰ (नीति प्रभाग)/ SO(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this Circular letter available on the website & Policy Repository.
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

5-1(616)/2018-RJ

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 18—नवम्बर 24, 2018, शनिवार/कार्तिक 27—अग्रहायण 3, 1940
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 18—NOVEMBER 24, 2018, SATURDAY/KARTIKA 27—AGRAHAYANA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 370.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल नियम, 1922 में नियम 22 के उपनियम (I) के खंड (क) में उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

In Continued

"(1) जहां किसी अधिष्ठायी या अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में सावधिक पद से भिन्न कोई पद धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक, यथास्थिति, अधिष्ठायी, अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में ऐसी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए जो सुसंगत भर्ती नियमों में विहित की जाएं, किसी ऐसे अन्य पद पर प्रोन्नत या नियुक्त किया जाता है जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके द्वारा धारित पद से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वहां समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस स्तर में जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, एक वेतनवृद्धि देकर नियत किया जाएगा और उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा ।

काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ आधार पर या सीधी भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों के सिवाय, सरकारी सेवक को यह विकल्प प्राप्त होगा जिसका वह, यथास्थिति, प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रयोग कर सकेगा कि वह इस नियम के अधीन वेतन को ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से नियत कराए या वेतन को आरंभ में ही जिस पर वह नियमित आधार पर प्रोन्नत किया गया है उस पद के स्तर में अगले उच्चतर सैल में नियत कराए और तत्पश्चात् उस पद के स्तर में, जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, अगली वेतनवृद्धि उद्भूत होने की तारीख को, उसका वेतन पुनः नियत किया जाएगा और उस स्तर में जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, दो वेतन वृद्धियां (पहली वार्षिक वेतनवृद्धि के कारण उद्भूत तथा दूसरी प्रोन्नति के कारण उद्भूत) दी जाएगीं और उसे उस पद पर, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर पर समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि उस पद, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा ।

ऐसे मामलों में जहाँ तदर्थ प्रोन्नति के पश्चात् बिना किसी व्यवधान के नियमित नियुक्ति कर दी जाती है, वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या प्रोन्नति की तारीख से ग्राह्य होगा जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख के एक मास के भीतर किया जाएगा:

ऐसे मामलों में जहाँ कोई अधिकारी उस पद पर नियमित होने से पूर्व तदर्थ रूप में सेवानिवृत्त हो गया है और तत्पश्चात् उसका नियमितीकरण की प्रक्रिया के दौरान निर्धारण किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उसके ऐसे कनिष्ठों के साथ ठीक पाया गया है, जो अभी भी सेवा में हैं तथा उस तारीख से जिसको सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सेवा में था, विकल्प की सुविधा लेने के लिए पात्र हैं, वहां विकल्प की वही सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी उस तारीख से, जब उसके कनिष्ठ विकल्प की सुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र हो गए थे, तीन मास के भीतर प्रयोग करने के लिए विस्तारित की जाएगी और उन मामलों में जहाँ ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं कनिष्ठतम था, वहां वह उस तारीख से, जिसको उसका आसन्न ज्येष्ट विकल्प की सुविधा पाने के लिए पात्र हो गया था, तीन मास के भीतर विकल्प सुविधा का प्रयोग कर सकेगा:

परंतु जहां कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद पर नियमित आधार पर अपनी प्रोन्नति या नियुक्ति के ठीक पूर्व निम्नतर पद के स्तर का अधिकतम वेतन ले रहा है, वहां उच्चतर पद के स्तर में उसका प्रारंभिक वेतन नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित निम्नतर पद की बाबत उसका वेतन निम्नतर पद के स्तर में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम को बढ़ाकर उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में नियत किया जाएगा, और यदि उस स्तर में, जिसमें उसे प्रोन्नत या नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।"

[फा. सं.13/1/2017-स्था.(वेतन-1)]

राजीव बाहरी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम 1 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए थे और ये नियम निम्नलिखित ब्यौरानुसार पूर्व में संशोधित किए गए थे :-

1. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.2 (9)-ई III/61, तारीख 1.02.1963;
2. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(1)-ई III (ए)/65, तारीख 20.02.1965;
3. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए)/64, तारीख 30.11.1965;
4. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए) /64, तारीख 01.10.1966;
5. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(3)-ई III (ए)/64-भाग II, तारीख 18.07.1967;
6. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(6)-ई III (ए)/68, तारीख 26.04.1968;
7. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए)/64, तारीख 27.05.1970;
8. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.18(13)-ई IV(ए)/70 तारीख 29.01.1971;

9. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(9)-ई-III(ए)/74, तारीख 30.10.1974;

10. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.1(6)- पी.यू.आई/79 तारीख 23.11.1979;

11. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना सं.एफ-1(8)-पी.यू.आई/80 तारीख 29.01.1981;

12. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.1/9/79-स्था. (वेतन-1), तारीख 06.10.1983;

13. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.13/5/84-स्था. (वेतन-1), तारीख 17.08.1984;

14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना 13/5/84-स्था.(वेतन-1), तारीख 24.9.1985;

15. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना सं.11/1/85-स्था.(वेतन-1), तारीख 24.04.1986; तथा

16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-1), तारीख 30.08.1989.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R.370.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely:-

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 22, in sub-rule (I), in clause (a), for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(1) where a Government servant holding a post, other than a tenure post, in a substantive or temporary or officiating capacity is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity, as the case may be, subject to the fulfillment of the eligibility conditions as prescribed in the relevant Recruitment Rules, to another post carrying duties and responsibilities of greater importance than those attaching to the post held by him, his initial pay in the time-scale shall be fixed by giving one increment in the level from which the Government servant is promoted and he or she shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed and if no such cell is available in the level to which promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level.

Save in cases of appointment on deputation to an *ex cadre* post, or to a post on *ad hoc* basis or on direct recruitment basis, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment or to have the pay fixed initially at the next higher cell in the level of the post to which he or she is promoted on regular basis and subsequently, on the date of accrual of next increment in the level of the post from which Government Servant is promoted, his pay shall be re-fixed and two increments (one accrued on account of annual increment and the second accrued on account of promotion) shall be granted in the level from which the Government Servant is promoted and he or she shall be placed, at a cell equal to the figure so

arrived, in the level of the post to which he or she is promoted; and if no such cell is available in the level to which he or she is promoted, he or she shall be placed at the next higher cell in that level.

In cases where an *ad hoc* promotion is followed by regular appointment without break, the option is admissible from the date of initial appointment or promotion, to be exercised within one month from the date of such regular appointment.

In cases where an officer has retired as *ad hoc* before being regularised to that post and later on has been assessed during the process of regularisation and found fit by the competent authority along with his or her juniors, who are still in service and are eligible to avail of the option facility from a date on which the retired employee was still in service, the same option facility shall also be extended to the retired employee, to be exercised within three months from the date when his or her junior became eligible to avail of option facility and in cases where such retired employee was himself the junior most, he or she may exercise the option facility within three months from the date when his or her immediate senior became eligible to avail of option facility:

Provided that where a Government servant is, immediately before his promotion or appointment on regular basis to a higher post, drawing pay at the maximum of the level of the lower post, his initial pay in the level of the higher post shall be fixed at the cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed by increasing his pay in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the level of the lower post and if no such cell is available in the level to which he is promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level."

[F.No. 13/1/2017-Estt.(Pay-I)]

RAJEEV BAHREE, Under Secy.

Note: The Fundamental Rules came into force from 1st January, 1922 and these rules were amended earlier as per details below:-

1. Ministry of Finance Notification No.2(9)-E.III/61 dated 01.02.1963;
2. Ministry of Finance Notification No.1(1)-E.III(A)/65 dated 20.02.1965;
3. Ministry of Finance Notification No.1(25)-E.III(a)/64 dated 30.11.1965;
4. Ministry of Finance Notification No. F.I(25)-E.III(A)/64 dated 01.10.1966;
5. Ministry of Finance Notification No. 1(3)-E.III(a)/64-Pt.II dated 18.07.1967;
6. Ministry of Finance Notification No. 1(6)-E.III(A)/68 dated 26.04.1968;
7. Ministry of Finance Notification No. 1(25)-E.III(A)/64 dated 27.05.1970;
8. Ministry of Finance Notification No. 18(13)-E.IV(A)/70 dated 29.01.1971;
9. Ministry of Finance Notification No. 1(9)-E.III(A)/74 dated 30.10.1974;
10. Ministry of Home Affairs Notification No. 1(6)-P.U.I/79 dated 23.11.1979;
11. Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. F. 1(8)-P.U.I/80 dated 29.01.1981;
12. Ministry of Home Affairs Notification No.1/9/79-Estt.(Pay-I) dated 06.10.1983;
13. Ministry of Home Affairs Notification No.13/5/84-Estt.(Pay-I) dated 17.08.1984;
14. Department of Personnel and Training Notification No. 13/5/84-Estt.(Pay-I) dated 24.09.1985;
15. Department of Personnel and Training Notification No. 11/1/85-Estt.(Pay-I) dated 24.04.1986; and
16. Department of Personnel and Training Notification No. 1/10/89-Estt.(Pay-I) dated 30.08.1989.

स्टाफ की भर्ती तथा पदोन्नति

11. सोसाइटी के सभी वर्ग के कर्मचारियों (स्टाफ) के लिए मूल्यांकन तथा योग्यता पदोन्नति सहित भर्ती तथा पदोन्नति इस संबंध में सी एस आई आर की शासी निकाय द्वारा बनाई गई विस्तृत योजनाओं के अनुसार ही की जाएगी।

सोसाइटी के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

12. वर्तमान में लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली इस सोसाइटी के अधिकारियों और स्थापना पर भी निम्नलिखित संशोधनों के साथ लागू होगी :

(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली में जहाँ "राष्ट्रपति" और "सरकारी कर्मचारी" का संदर्भ आया है वहां क्रमशः सोसाइटी के अध्यक्ष और "सोसाइटी की सेवा के अधिकारियों और स्थापना" अर्थ ग्रहण किया जाएगा, और

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में जहां "सरकार" और "सरकारी कर्मचारियों" का संदर्भ आया है वहां क्रमशः "सोसाइटी" और "सोसाइटी सेवा के अधिकारियों और स्थापना" अर्थ ग्रहण किया जाएगा।

13. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के अधीन सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महानिदेशक तथा अन्य किसी अधिकारी के नाम से जारी किए गए आदेशों का प्रमाणीकरण महानिदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

14. सोसाइटी की सेवा के कर्मचारियों के वेतनमान भारत सरकार के इसी प्रकार के कार्मिकों के लिए निर्धारित वेतनमान से अधिक नहीं होंगे किंतु यह बात विशेषज्ञों के मामले में लागू नहीं होगी।

15. सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूलभूत और अनुपूरक नियमावली तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य नियम और आदेश सोसाइटी के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकने की सीमा तक लागू होंगे।

इस उपविधि में दी गई व्यवस्था के होते हुए भी, शासी निकाय को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह किसी नियम के अवश्य लागू होने की शर्त उसके द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक और किन्ही शर्तों के अधीन छूट दे दे।

Recruitment & Promotion of Staff

11. Recruitment & Promotion, including assessment and merit pro tion, in respect of all categories of staff of the Society shall be regulate accordance with the detailed schemes formulated by Governing Body, C in this behalf.

Conditions of Services of Officers & Staff of the Society

12. The Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Ru and the Central Civil Services (Conduct) Rules, for the time being in fo shall apply, so far as may be to the officers and establishments in the ser of the Society, subject to the modification that:

a) reference to the 'President' & "Government Servant" in Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Ru shall be construed as reference to the "President of the Socie and "Officer & Establishments in the service of the Socie respectively; and

b) reference to "Government" & "Govt. Servant" in the Cen Civil Services (Conduct) Rules, shall be construed as refere to the "Society" & "Officers & establishments in the servic the Society" respectively.

13. Orders made in the name of the President, Vice-president, Direc General and other officers of the Society under the Central Civil Servi (Classification, Control & Appeal) Rules shall be authenticated by signature of the officer designated for the purpose by the Director-Gene

14. The scales of pay applicable to all the employees of the Society sl not be in excess of those prescribed by the Govt. of India for sim personnel, save in the case of specialists.

15. In regard to all matters concerning service conditions of employ of the Society, the Fundamental and Supplementary Rules framed by Govt. of India and such other rules and orders issued by the Govt. of In from time to time shall apply to the extent applicable to the employees of Society.

Notwithstanding anything contained in this Bye-law, the Govern Body shall have the power to relax the requirement of any rule to such ext and subject to such conditions as it may consider necessary.